मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 5, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(1) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 ; एवं

(2) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, सिवनी स्थित कन्या महाविद्यालय भवन वीरान क्षेत्र में होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, दतिया जिले में राजघाट नहर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री किशोरी लाल वर्मा, सदस्य, म.प्र. स्काउट एवं गाइड संस्था के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई योजना हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण.

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री शरद जैन "एडवोकेट", डॉ. निशिथ पटेल, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से मुम्बई तक वायु सेवा व्हाया नागपुर तथा वापसी जबलपुर प्रारंभ की जावे".

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि शासकीय सेवकों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को 90 दिन के अंदर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे".

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी आदि की सुविधा रोगियों को उपलब्ध कराई जावे".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 23 फरवरी, 2006